न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 71 ⁄ 2019 **दायर दिनांकः 03.06.2019**

उनवान

1. कोशल आयु 25 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू
2. हरिओम आयु 22 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू
3. रविकान्त आयु 18 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी ढोटी अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां
3. शाखा प्रबन्धक महोदय, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा झालावाड़ रोड कोटा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनाकः 18 ⁄ 01 ⁄ 2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार खाता संख्या 287 की ख0नं0 1684 की 3.12 है0 व ख0नं0 1685 की 2.05 है0 खं नं. 1977 ⁄ 1371 की 0.25 है0 कुल 3 किता की 5.42 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। [illegible] की मद नं0 1 में वर्णित भूमि वादीगण के दादा मोतीलाल के दर्ज खाता चली आ [illegible]। उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण के पिता बाबूलाल प्रतिवादी क्र. 1 के दर्ज खाता [illegible] आ रही है। यह पैतृक भूमि है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार प्राप्त है। प्रति. क्र. 1 बिना पारिवारिक आवश्यकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:01:17 IST
Reason: SelfAttested

के वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा रहता है।वादीगण ने पेतृक सम्पत्ति में दिनांक 24.5.2019 को अपना हिस्सा अलग करवाकर खाते दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी क्र. 1 ने मना कर दिया । बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 के अवेध कृत्य को रोका जाना सम्भव नही है। अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रत्येक का हिस्सा 1/4 1/4 कुल 3/4 हिस्से के खातेदार कृषक घोषित होकर हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा करवाकर पृथक खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद मे आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रति.क्र. 2 बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है लेकिन नोटिस प्रेषित किया एवं नोटिस की अवधि समाप्ति का इंतजार किया गया तो प्रतिवादी क्रम 1 वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि को रहन बेचान कर देगा जिससे वादीगण को अनेकोंनेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इसलिए न्यायालय की इजाजत से 80 (2) सी0पी0सी0 का अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा झालावाड रोड कोटा के रहन होने से उसे प्रति. क्र. 3 बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 24.5.19 को प्रति.क्र. 1 द्वारा पैतृक सम्पत्ति में वादीगण के हिस्से को पृथक खाते दर्ज करवाने से मना करने पर व बंटवारा करवाने से मना करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम ढोटी तह0 अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावें:–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादीगण को हिस्से 3/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:01:17 IST
Reason: SelfAttested

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया।

ग्राम एवं माल ढोटी तहसील अटरू में मुताबिक जमाबंदी 2072 से 2075 के अनुसार खाता सं0 287 की खं0 नं0 1684 रकबा 3.12 है0 ,ख0 न0 1685 रकबा 2.05 है0 , ख0नं0 1977/1371 रकबा 0.25 है0 कुल 3 किता रकबा 5.42 है0 भूमि वादीगण के पिता प्रति. क्र. 1 बाबूलाल के दर्ज खाता चली आ रही है। यह भूमि पैतृक भूमि है। जिसमें वादीगण एवं प्रति. क्र. 1 में मध्य निम्न प्रकार बंटवारा हो गया है:–

वादी क्रम 1 व 2 कौशल ,हरिओम पुत्रगण बाबूलाल जाति मीणा निवासी ढोटी के हिस्से एवं कब्जे में ख0नं0 1685 रकबा 2.05 है एवं ख0 नं0 1977/1371 रकबा 0.25 है0 कुल दो किता रकबा 2.30 है0 भूमि हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।

इसी प्रकार वादी क्रम 3 रविकान्त पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी ढोटी के ख0 नं0 1684 रकबा 3.12 है0 में से पूरब दिशा की 1.15 है0 भूमि हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।

इसी प्रकार प्रति. क्र. 1 बाबूलाल पुत्र मोतीलाल के ख0 नं0 1684 रकबा 1.97 है0 पश्चिम दिशा का हिस्से एवं कब्जे में रहेगी। अतः राजीनामा प्रस्तुत का निवेदन है कि मुताबिक निर्णय पारित किया जाकर डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल करवाने के आदेश प्रदान करे।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री भगवान मंगल एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री चद्र प्रकाश योगी द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 [illegible]0 [illegible]या गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी मुता[illegible] जमाबंदी 2072 से 2075 के अनुसार खाता सं0 287 की खं0 नं0 1684 रकबा 3.12 है0 ,ख0 न0 1685 रकबा 2.05 है0 , ख0नं0 1977/1371 रकबा 0.25 है0 कुल 3 किता रकबा 5.42 है0 भूमि वादीगण के पिता प्रति.क्र. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:01:17 IST
Reason: SelfAttested

बाबूलाल के दर्ज खाता चली आ रही है। यह भूमि पैतृक भूमि है। प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत ढोटी द्वारा वारिसयान प्रमाण पत्र 21.12.2020 अनुसार वादीगण 1 ल 3 प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र है। जिनका पैत्रिक सम्पत्ति पर जन्म से अधिकार निहित है।

अतः न्यायहित मे आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके माल ढोटी तहसील अटरू में मुताबिक जमाबंदी 2072 से 2075 के अनुसार खाता सं0 287 की खं0 नं0 1684 रकबा 3.12 है0 ,ख0 न0 1685 रकबा 2.05 है0 , ख0नं0 1977/1371 रकबा 0.25 है0 कुल 3 किता रकबा 5.42 है0 भूमि वादीगण के पिता प्रति.क. 1 बाबूलाल के दर्ज खाता दर्ज है, यह भूमि पैतृक भूमि है। जिसमें वादीगण एवं प्रति. क. 1 में मध्य निम्न प्रकार बंटवारा विभाजन किया जाता है:—

1. वादी क्रम 1 व 2 कौशल ,हरिओम पुत्रगण बाबूलाल जाति मीणा निवासी ढोटी के हिस्से एवं कब्जे में ख0नं0 1685 रकबा 2.05 है एवं ख0 नं0 1977/1371 रकबा 0.25 है0 कुल दो किता रकबा 2.30 है0 भूमि हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।
2. वादी क्रम 3 रविकान्त पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी ढोटी के ख0 नं0 1684 रकबा 3.12 है0 में से पूरब दिशा की 1.15 है0 भूमि हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।
3. प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल के ख0 नं0 1684 रकबा 1.97 है0 पश्चिम दिशा का हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:01:17 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 71/2019

उनवान

1. कोशल आयु 25 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू
2. हरिओम आयु 22 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू
3. रविकान्त आयु 18 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

4. बाबूलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी ढोटी अटरू जिला बारां राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां
6. शाखा प्रबन्धक महोदय, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा झालावाड़ रोड कोटा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी वाके माल ढोटी तहसील अटरू में मुताबिक जमाबंदी 2072 से 2075 के अनुसार खाता सं0 287 की खं0 नं0 1684 रकबा 3.12 है0 ,ख0 न0 1685 रकबा 2.05 है0 , ख0नं0 1977/1371 रकबा 0.25 है0 कुल 3 किता रकबा 5.42 है0 भूमि वादीगण के पिता प्रति.क्र. 1 बाबूलाल के दर्ज खाता दर्ज है, यह भूमि पैतृक भूमि है। जिसमें वादीगण एवं प्रति. क्र. 1 में मध्य निम्न प्रकार बंटवारा विभाजन किया जाता है:—

1. वादी क्रम 1 व 2 कौशल ,हरिओम पुत्रगण बाबूलाल जाति मीणा निवासी ढोटी के हिस्से एवं कब्जे में ख0नं0 1685 रकबा 2.05 है एवं ख0 नं0 1977/1371 रकबा [illegible] कुल दो किता रकबा 2.30 है0 भूमि हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:01:17 IST
Reason: SelfAttested

2. वादी क्रम 3 रविकान्त पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी [illegible] के ख0 नं0 1684 रकबा 3.12 है0 में से पूरब दिशा की 1.15 है0 भूमि हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।
3. प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल के ख0 नं0 1684 रकबा 1.97 है0 पश्चिम दिशा का हिस्से एवं कब्जे में रहेगी।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..........................
..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:01:17 IST
Reason: SelfAttested